## <u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>प्रकरण क्रमांक 05 / 13</u> <u>संस्थित दिनांक -02 / 01 / 13</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

01. चैनसिंह पिता मोतीराम उम्र 42 साकिन डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

## :<u>:निर्णय::</u> { दिनांक **20 / 02 / 2017** को घोषित}

- 1. आरोपी के विरूद्ध भा.दं०सं० की धारा 279 के तहत दण्ड़नीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16/12/12 को समय दोपहर करीब 01:00 बजे ग्राम कुर्रा झोड़ी फाटा के पास थाना रूपझर में वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जेड़.सी—8990 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उकवा से सोनगुड्डा जाते समय कुर्रा झोड़ी फाटा के पास मोड़ पर सामने से ट्रक कमांक सी.जी.04/जेड़.सी—8990 के चालक ने ट्रक को तेजगति लापरवाहीपूर्वक चलाकर पिकअप कमांक एम.पी. 20/जी.ए.—1419 को टक्कर मार दिया जिससे पिकअप का चक्का निकल गया और काफी नुकसान हो गया। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के गवाहों के कथन लेख कर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना से वाहन को जप्त कर आरोपी चालक को गिरफतार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की

है।

- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - (1) क्या आरोपी चैनसिंह ने दिनांक 16/12/12 को समय दोपहर करीब 01:00 बजे ग्राम कुर्रा झोड़ी फाटा के पास थाना रूपझर में वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04/जेड़.सी–8990 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

## ः:सकारण निष्कर्षः:

## विचारणीय प्रश्नेक मांक 1

- परिवादी राकेश कोलते(अ.सा.०1) का कथन है कि घटना लगभग 5. दो साल पूर्व की है। घटना दिनांक को वह पिकअप वाहन से उकवा से सोनगुड़ा बाजार जा रहा था। जैसे ही उनका पिकअप वाहन बंजारी के आगे मोड़ पर पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक ने हार्न बजाया। साईड पर जगह न होने से पिकअप वाहन के चालक ने पिकअप वाहन को रोक दिया। तभी ट्रक वाले ने अपने वाहन को तेजगति से लाया और पिकअप वाहन को टक्कर मार दिया। उसकी टक्कर से पिकअप वाहन का पैनल, बंपर और चक्का क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में उसे तथा उसके साथ बैठे लोगों को कोई चोट नहीं आयी थी। उस समय उसके वाहन में दिनेश, कपूर और जीतू बैठे हुए थे। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी क्योंकि पर्याप्त जगह होने के बाद में भी उसने उनके पिकअप वाहन को टक्कर मारा था। वह आज ट्रक चालक को नहीं पहचान सकता। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 सोनगुड्डा चौकी में की थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था पुलिस ने उसके समक्ष पिकअप वाहन की क्षति का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था उक्त दस्तावेजों के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे लगभग पांच से सात हजार रूपये का नुकसान हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 6. कपूर चौधरी (अ.सा.02) का कथन है कि वह घटना दिनांक को राकेश के पिकअप वाहन में बैठकर उकवा से सोनगुड्डा बाजार जा रहा था। जैसे ही उनका पिकअप वाहन सोनगुड्डा से दो—तीन कि0मी0 पहले पहुंचा तो वाहन का हार्न सुनने पर पिकअप वाहन के चालक ने अपनी साईड़ में वाहन को खड़ा कर दिया। तभी सामने से ट्रक आया और उनके पिकअप वाहन को टक्कर मार दिया। उक्त टक्कर से पिकअप वाहन के सामने का भाग पिचक गया और उसका चक्का निकल गया। उस समय ट्रक को आरोपी चैनसिंह चला रहा था जिसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। क्योंकि उसके साईड़ में

पर्याप्त जगह थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे।

- 7. जीतू पटले (अ.सा.03) का कथन है कि घटना दिनांक को वह राकेश के पिकअप वाहन में बैठकर उकवा से सोनगुड्डा बाजार जा रहा था। जैसे ही उनका पिकअप वाहन सोनगुड्डा के पांच कि0मी0 पहले मोड़ पर पहुंचा तो सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसने हार्न दिया था। उक्त हार्न सुनकर राकेश ने पिकअप वाहन अपने साईड़ में खड़ा कर दिया तभी सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने खड़े पिकअप वाहन में टक्कर मार दिया। उक्त टक्कर से पिकअप वाहन के सामने का भाग पिचक गया। पुलिस ने उसके समक्ष पिकअप वाहन में हुई क्षित के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। यद्यपि उक्त पंचनामा प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी चैनसिंह से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार नहीं किया था परंतु गिरफतारी पकत्र प्र.पी.05 के ए से ए भागपर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।
- 08. दिनेश (अ.सा.04) का कथन है कि वह कपड़ा लेकर राकेश के पिकअप वाहन से उकवा से सोनगुड़डा जा रहा था। वह लोग सोनगुड़डा के पास घाटी से उतर रहे थे और सामने से एक ट्रक आ रहा था। मोड़ होने के कारण पिकअप वाहन चालक ने वाहन को साईड में खड़ा कर दिया था। तभी सामने से ट्रक के चालक ने पिकअप को टक्कर मार दिया जिससे पिकअप वाहन द्वायवर के साईड से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय उसने ट्रक चालक को देखा था। उस समय ट्रक को अरोपी चैनसिंह चला रहा था। पुलिस ने उसके समक्ष वाहन में हुई क्षति बाबत नुकसानी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर दसके बयान लिये थे।
- 09. यद्यपि अभियोजन द्वारा विवेचक साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं जिससे जप्ती तथा गिरफतारी की कार्यवाहियां प्रमाणित नहीं है। परंतु उक्त साक्षी के अपरीक्षण से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि राकेश कोलते अ0सा01 को छोड़कर सभी अभियोजन साक्षियों ने आरोपी चैनसिंह द्वारा ट्रक चालन के कथन किये हैं। स्वयं अभियुक्त ने भी उसके घटना के समय अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा रोड़ किनारे खड़े पिकअप वाहन को टक्कर मारकर नुकसान करने के कथन किये हैं। मौकानक्शा प्र.पी.02 से भी घटनास्थल सड़क किनारे होना दर्शित है। साक्षियों के कथन और नुकसानी

शा० वि० चैनसिंह

पंचनामा प्र.पी.03 से परिवादी के पिकअप वाहन को नुकसान होना दर्शित है। यद्यपि परिवादी राकेश अ०सा०1 ने प्रतिपरीक्षण में अचानक वाहन एक दूसरे के सामने आने के कारण दुर्घटना होने तथा ट्रक के सामान्य गति से चलने के कथन किये हैं। तथापि सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन को ट्रक द्वारा टक्कर मारकर जिस प्रकार नुकसान कारित किया गया है। उससे अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत— अब्दुल सत्तार विरुद्ध स्टेट 1980 (1) एम.पी. <u>डब्ल्यू.एन</u> अवलोकनीय है।

- 10. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त चैनिसंह द्वारा अपने वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04 / जेड़.सी–8990 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 11. फलतः अभियुक्त चैनसिंह को धारा 279 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 12. अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि. का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 13. अतः अभियुक्त चैनसिंह को धारा 229 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 / (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 14. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत परिवादी राकेश कोलते को अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 15. आरोपीगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, उक्त संबंध में धारा–428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 16. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04 / जेड़.

शा0 वि0 चैनसिंह

सी-8990 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

ATTENDED PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)